भारत सरकार

योजना मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3665

दिनांक 03.04.2023 को उत्तर देने के लिए

संपत्तियों का मुद्रीकरण

3665. **श्री मल्लिकार्जुन खरगे**:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में संपत्तियों के मुद्रीकरण (ऐसेट मॉनीटाइज़ेशन) हेतु 1.62 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): जी, हाँ। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के तहत परिकल्पित चरण के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए के मुद्रीकरण मूल्य की परिकल्पना की गई है।

(ख) चूँकि एनएमपी को अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था, इसके कार्यान्वयन का पहला वर्ष- वित्त वर्ष 2021-22 था। इसके सापेक्ष, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, उपार्जन या निजी निवेश के

संदर्भ में लगभग 97,000 करोड़ रुपये के कुल मुद्रीकरण मूल्य के साथ लेनदेन पूरा किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 31 जनवरी, 2023 के अंत तक सम्बद्ध मंत्रालयों और विभागों से एकत्रित अद्यतनों के आधार पर, लगभग 76,000 करोड़ रुपये के अनुमानित मुद्रीकरण मूल्य के प्रस्तावों को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पूरा किया गया और समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रमुख मंत्रालयों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा नागर विमानन मंत्रालय शामिल हैं। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा उनकी अंतर्निहित संस्थाओं द्वारा कई लेन-देन प्रक्रियाधीन है। लेन-देन पाइपलाइन की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

(ग), (घ) और (ङ): मंत्रालय और विभाग प्रस्तावों पर कार्रवाई कर रहे हैं और लेन-देन की शुरुआत और संचालन में तेजी लाने के लिए आवश्यक प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक लेन-देन पूरा करने की दिशा में संबंधित संपत्ति के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा विस्तृत और उचित सावधानी बरतने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों और लागू विनियमों के अनुसार लेनदेन संरचना और तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जाता है। तत्पश्चात इन पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है और मौजूदा नीतियों तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बहु-स्तरीय संस्थागत तंत्र द्वारा कार्यक्रम स्तर पर आवधिक समीक्षा की जा रही है।
